रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2015/आश्विन 9, 1937
No. 252] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2015/ASVINA 9, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2015

(मध्यावधि समीक्षा जांच)

विषय : **चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "4, 4 डिआमिनियो स्टिलबिनि 2, 2 डिसुलफोनिक एसिड" (डीएएसडीए) के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों की मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) जांच शुरू करना।**

फा.सं. 15/18/2015-डीजीएडी.—यत: समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए; निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) ने पहले घरेलू उद्योग की ओर से मेसर्ज दीपक नाईटराईट लिमिटिड द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के आधार पर ओप्टिकल ब्राइटनिंग एजेन्टों, फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेन्टों, आदि जैसे रंगाई की वस्तुओं के सिंथेसिस में प्रयुक्त होने वाले 4, 4 डिआमिनियो स्टिलबिनि 2, डिसुलफोनिक एसिड" (डीएएसडीए) के संबंध में जो कि चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित किए जाते थे, के आयातों के संबंध में दिनांक 26 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या 14/1/2012-डीजीएडी के अंतर्गत पाटन-रोधी शुल्क लगाने के लिए जांच करने की शुरूआत की थी।

2. इस मूल जांच की जांच अवधि, 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 तक थी। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 22 नवंबर, 2013 के अंतिम निर्णय संबंधी अधिसूचना संख्या 14/1/2012-डीजीएडी के अंतर्गत निश्चित शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 23 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 09/2014 – सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर सुनिश्चित पाटन-रोधी शुल्क लगाए थे ।

क. मध्यावधि समीक्षा शुरू करने का अनुरोध

3. संबद्ध वस्तुओं के आयातकों/प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकाय, डाईस्टफ्स मेन्युफेक्चर्स ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र में अनुरोध किया है कि नियमावली के नियम 23 के साथ पठित कस्टम टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों की समीक्षा शुरू की जाए। उन्होंने यह दावा किया है कि मूल जांच की जांच अवधि के दौरान विद्यमान परिस्थितियों में अब काफी परिवर्तन आ गया है जिसके फलस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमे लगाए गए ऐसे पाटन-रोधी शुल्कों की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

ख. समीक्षा के आधार

4. आवेदक ने यह निवेदन किया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात की कीमतें काफी बढ गई हैं और साथ ही घरेलू बिक्री कीमतें भी काफी बढ गई हैं तथा मुख्य कच्चे माल की लागत में भी गिरावट आई है। आवेदक ने आगे यह भी निवेदन किया है कि आयात में काफी वृद्धि होने के फलस्वरूप आयात के पहुंच मूल्य में वृद्धि हुई है, क्षति मार्जिन कम हो गया है तथा इनके परिणाम स्वरूप शुल्कों के वर्तमान स्तर की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।

5. इसके अतिरिक्त मूल जांच में मेसर्ज हेबेल हुआ-केम डाई केमिकल कंपनी लिमिटिड] चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक/निर्यातक) को पृथक विशिष्ट शुल्क प्रदान किया गया था। अब मेसर्ज टस्कर केमिकल (डोंग्गुआंग) कंपनी लिमिटिड, चीन जनवादी गणराज्य ने एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने यह सूचित किया है कि मेसर्ज हेबेल हुआ-केम डाई केमिकल कंपनी लिमिटिड पहले हुआ गे केमिकल (डोंग्गुआंग) कंपनी लिमिटिड के नाम से और बाद में मेसर्ज टस्कर केमिकल (डोंग्गुआंग) कंपनी लिमिटिड के नाम से परिवर्तित हो गई है। साथ ही उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित मेसर्ज हेबेल हुआ-केम डाई केमिकल कंपनी लिमिटिड चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक/निर्यातक) के नाम को बदल कर अब मेसर्ज टस्कर केमिकल (डोंग्गुआंग) कंपनी लिमिटिड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक/निर्यातक) कर दिया जाए। वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच में नाम में ऐसे परिवर्तन करने के संबंध में प्राप्त अनुरोध की भी जांच की जाएगी बशर्ते कि मेसर्ज टस्कर केमिकल (डोंग्गुआंग) कंपनी लिमिटिड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक/निर्यातक), प्राधिकारी के साथ इस संबंध में सहयोग करें और समस्त अपेक्षित सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ प्रश्नावली के प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।

ग. विचारार्थ उत्पाद और सदृश वस्तु

6. विचाराधीन उत्पाद 4, 4 डिआमिनियो स्टिलबिनि 2, डिसुलफोनिक एसिड" (डीएएसडीए) है। इसे 2, 2' (1, 2-ईथिलेनेडायल) बिस (5-एमीनोबेनजेनेसल्फोनिक एसिड), 4, 4' ढसमिपसयूटरिलबेने-2, 2' - डिसल्फोनिक एसिड, 2, 2' – इथान-1, 2 -डाईल्बिस (5 - एमीनो बेनजेन सल्फोनिक एसिड), एमसोनिक एसिड और डीएसडी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। डीएसडीए हल्के पीले रंग का पाउडर होता/क्रीम होती है जिसका उपयोग डाई स्टफ के सिंथेसिस में किया जाता है जैसा कि ऑप्टिकल ब्राईटनिंग एजेंट, फ्लोरेसेंट ब्राईटनिंग एजेंट आदि। संबद्ध वस्तुओं को शीर्ष 29215990 के अंतर्गत वगीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया गया वर्गीकरण, केवल संकेतक मात्र है और यह जांच के अधिकार क्षेत्र में बाध्यकारी नहीं है।

घ. शामिल देश

7. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है।

ङ. कार्रवाई शुरू करना

8. सीमा शुल्क विभाग की दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 15/2011 के अंतर्गत यथा संशोधित पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 के उप-नियम (1) और (1 क) में किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :-

"(1) अधिनियम की धारा 9-3 के प्रावधान के अंतर्गत लगाया गया कोई भी पाटन-रोधी शुल्क तब तक लागू रहेगा, जब तक उसे और उसकी आवश्यक सीमा तक लगाए रखे जाना जरूरी है ताकि ऐसे पाटन को रोका जा सके जिससे कि क्षति हो रही है।

(1-क) निर्दिष्ट प्राधिकारी समय-समय पर स्वयं पहल करके अथवा ऐसे किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा जो कि ऐसी समीक्षा करने की आवश्यकता को संपुष्ट करने वाली सकारात्मक सूचना प्रस्तुत कर अनुरोध करते हैं कि समीक्षा करना आवश्यक है तथा निश्चित पाटन-रोधी शुल्क लगाए हुए पर्याप्त समय बीत चुका है, जहां आवश्यक हो वहां किसी भी पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर लगाए रखने की समीक्षा करेंगे और निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी समीक्षा करने के बाद जहां इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसे पाटन-रोधी शुल्क हटाए जाने अथवा उसमें परिवर्तन करने से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निरंतर बने रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की कोई संभावना नहीं है और उसको आगे जारी रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, केन्द्रीय सरकार को उसको वापस लेने की सिफारिश करेंगे"।

9. उपरोक्त नियमों के अनुसार प्राधिकारी से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह समय-समय पर इस तथ्य की स्वयं पहल करके जहां आवश्यक हो वहां किसी भी पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर लगाए रखने की समीक्षा कर सकते हैं अथवा ऐसे किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा जो कि ऐसी समीक्षा करने की आवश्यकता को संपुष्ट करने वाली सकारात्मक सूचना प्रस्तुत कर अनुरोध करता है कि समीक्षा करना आवश्यक है, उसकी समीक्षा कर सकते हैं तथा यदि प्राधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क हटाए जाने से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुनरावृति नहीं होगी, केन्द्रीय सरकार को उसको वापस लेने की सिफारिश कर सकते हैं।

10. उपरोक्त आवेदक द्वारा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी द्वारा इस मामले को प्रथम दृष्टया संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों की मध्यावधि समीक्षा शुरू करने के लिए उपयुक्त माना जाता है।

च. प्रक्रिया

11. आवेदक द्वारा प्रदत्त इस आशय की सूचना कि परिवर्तित परिस्थितियों में लागू उपायों की समीक्षा करना अत्यावश्यक हो गया है, को ध्यान में रखते हुए अब प्राधिकारी उपयुक्त समझते हैं कि भारत के राजपत्र असाधारण भाग - I खंड - I में प्रकाशित दिनांक 22 नवंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 14/1/2012-डीजीएडी के अंतर्गत जारी किए गए अंतिम निर्णय तथा सीमा शुल्क विभाग द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 09/2014 के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों की अब मध्यावधि समीक्षा शुरू की जाए।

छ. जांच की अवधि

12. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक है। तथापि] क्षति की जांच अवधि में वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 और जांच अवधि भी शामिल होगी।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देश में निर्यातकों को, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देश की सरकार को, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को तथा घरेलू उद्योग को अलग से अनुरोध किया जा रहा है कि वे संबद्ध सूचना को निर्धारित प्रपत्र में और यथा निर्धारित तरीके से प्राधिकारी को उनके निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं।

निर्धारित प्राधिकारी,

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,

नई दिल्ली-110001

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संबद्ध अपने अनुरोध निर्धारित प्रपत्र में नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है

झ. समय सीमा

15. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना ओर सुनवाई के लिए कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40 दिन) दिनों से पूर्व उपयुक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटन-रोधी नियमों के अंतर्गत रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

ञ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप में अंकित (शीर्षक, विषय सूची, प्रश्न संख्या, आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, विषय सूची, प्रश्न संख्या, आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

17. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी गोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

18. गोपनीय रूप से दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण भी उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

19. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध अथवा रिक्त छोडी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होनी अपेक्षित है। गोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझा जा सके। तथापि, अपवादित परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह संकेत दे सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इस आशय के कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

20. प्रस्तुत की गई सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा वह सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसका प्रकटन करने का प्राधिकार देने का इच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

21. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में बेहतर कारण संबंधी विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जा सकता है। प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत के बारे में संतुष्ट होने पर और उसे स्वीकार करने के उपरांत ही इसका प्रकटन ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को नहीं करेंगे।

ट. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

22. नियम 6 (7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण कर सकता है, जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ठ. असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2015

(Mid Term Review Investigation)

Subject: Initiation of Mid Term Review (MTR) of the anti-dumping duties imposed on the imports of "4,4Diamino Stilbene2, 2 Disulphonic Acid" (DASDA) originating in or exported from China PR.

F. No. 15/18/2015-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) had

earlier initiated an anti-dumping investigation, vide Notification No.14/1/2012-DGAD dated 26th July 2012, concerning imports of '4,4Diamino Stilbene2, 2 Disulphonic Acid"(DASDA), used in synthesis of dye stuffs, like optical brightening agents, fluorescent brightening agents etc., originating in or exported from China PR, on the basis of an application filed by M/s Deepak Nitrite Ltd., on behalf of the domestic industry.

2. The Period of Investigation for the original investigation was 1st January, 2011 to 31th December, 2011. The definitive duties were recommended by the Authority vide Final Findings Notification No. No.14/1/2012-DGAD dated 22th November, 2013. The definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government on the imports of the subject goods from China PR vide Notification No. 09/2014 – Customs (ADD) dated 23rd January, 2014.

A. Request for Initiation of Mid Term Review

3. The Dyestuffs Manufactures Association of India, Mumbai, a representative body of importers/users of the subject goods, has submitted an application requesting for initiation of a review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods from the subject countries in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Rules. They have claimed that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the original investigation have changed significantly leading to a situation where the existing anti-dumping duties are no longer warranted.

B. Grounds for review

4. The applicant has submitted that the import prices of the subject goods have increased significantly; that domestic selling prices have also increased significantly and that the cost of major raw material has also decreased. The applicant has further submitted that coupled with a significant increase in import prices leading to an increase in the landed value of imports, the injury margin has come down and as a consequence, a need for reviewing the current level of duties has arisen.

5. Further, in the original investigation, M/s. Hebei Hua-Chem Dye Chemical Co., Ltd, China PR (Producer/Exporter) was accorded individual duty. An application has now been filed by M/s. Tasker Chemical (Dongguang) Co. Ltd, China PR informing that the name of Hebei Hua-Chem Dye Chemical Co. Ltd., was changed to Hua Ge Chemical (Dongguang) Co. Ltd., and then to Tasker Chemical (Dongguang) Co Ltd and requested for a change of name in the anti-dumping duty notification from M/s. Hebei Hua-Chem Dye Chemical Co. Ltd., China PR (Producer/Exporter) to M/s. Tasker Chemical (Dongguang) Co. Ltd., China PR (Producer/Exporter). The present midterm review investigation shall also investigate in to the stated request for change of name, subject to the condition that M/s. Tasker Chemical (Dongguang) Co. Ltd., China PR (Producer/Exporter) cooperates with the Authority and files questionnaire response along with all required information/documents.

C. Product under consideration and Like Article

6. The product under consideration is '4,4Diamino Stilbene2, 2 Disulphonic Acid"(DASDA). It is also known as 2, 2'-(1,2-Ethylenediyl) bis (5-aminobenzenesulfonic acid), 4, 4'-Diaminostilbene-2, 2'-Disulfonic Acid, 2, 2'-ethene-1, 2-diylbis (5-amino benzene sulfonic acid), Amsonic Acid and DSD Acid. DASDA is a light yellow color powder/cream, which is used in synthesis of dye stuffs, like optical brightening agents, fluorescent brightening agents, etc. Subject goods are classified under heading 29215990. However, customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

D. Country involved

7. The country involved in the present investigation is China PR.

E. Initiation

8. Sub Rule (1) and (1A) of Rule 23 of the Anti-dumping Rules, as amended vide Customs Notification No. 15/2011 dated 1st March, 2011, reads as follows:

"(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of Section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.

(1A) The designated authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

9. In terms of the aforesaid rules, the Authority is required to review from time to time, the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review and if it is satisfied that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the anti-dumping duty is removed or varied and there is no justification for continued imposition of such duty, the Authority may recommend to the Central Government for its withdrawal.

10. On the basis of information made available by the aforementioned applicant before the Authority, the Authority considers it prima facie appropriate to initiate a mid-term review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

F. Procedure

11. Having regard to the information provided by the Applicant indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Authority now considers that it is appropriate to initiate a mid-term review of the final findings notified vide Notification No. No.14/1/2012-DGAD dated 22th November, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I and the definitive duties imposed by the Central Government on the imports of the subject goods from China PR vide Notification No. 09/2014 – Customs (ADD) dated 23rd January, 2014.

G. Period of Investigation (POI)

12. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 2014 to 31st March, 2015. The injury investigation period will, however, cover the periods 2011-12, 2012-13, 2013-14 and the POI.

H. Submission of Information:

13. The exporters in subject country, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner as prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street
New Delhi-110001

14. **Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.**

I. Time Limit

15. Any information relating to the present review should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

J. Submission of information on confidential basis

16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

17. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

18. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential, version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

K. Inspection of Public File

22. In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

L. NON-COOPERATION

23. In case any interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.